

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-8
संख्या: 1667/छ:-पु0-8-2018-801(77)/2010 टी.सी.
लखनऊ: दिनांक: 11 सितम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

अग्निशमन सेवा के उपनिदेशक पद पर तैनात अधिकारियों की पारस्परिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम (सर्वश्री), गृह जनपद	भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती/प्रोन्नति संवर्ग	जन्मतिथि	भर्ती/नियुक्ति की तिथि	मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत की तिथि	उप निदेशक तकनीकी/सेनानायक के पद पर पदोन्नत की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अमन शर्मा, सोनीपत, हरियाणा	सीधी भर्ती	04.11.1965	17.03.1993	---	13.09.2012
2	अजय कुमार गुप्ता, नार्थ दिल्ली	सीधी भर्ती	22.12.1967	08.11.2000	---	13.09.2012
3	पी०पी० अवस्थी, उन्नाव (से०नि० 30.11.17)	प्रोन्नति संवर्ग	15.11.1957	01.12.1982	18.01.2010	28.10.2014
4	रवीन्द्र कुमार पाण्डेय आगरा	प्रोन्नति संवर्ग	23.09.1959	01.12.1982	18.01.2010	28.10.2014
5	योगेश बाबू द्विवेदी आगरा	प्रोन्नति संवर्ग	04.10.1958	01.12.1982	18.01.2010	27.10.2014
6	जाकिर हुसैन रिजवी कौशाम्बी(से०नि० 30. 05.16)	प्रोन्नति संवर्ग	10.05.1956	01.12.1982	18.01.2010	27.10.2014
7	राम सनेही विश्वकर्मा कानपुर देहात (से०नि० 30.09.16)	प्रोन्नति संवर्ग	07.09.1956	01.12.1982	18.01.2010	28.10.2014
8	एस०के० सिंह कुशवाहा जालौन(से०नि० 31.10. 16)	प्रोन्नति संवर्ग	27.10.1956	01.12.1982	18.01.2010	28.10.2014
9	हरवीर सिंह मलिक मुजफ्फरनगर	प्रोन्नति संवर्ग	07.01.1969	01.12.1982	28.04.2012	27.10.2014

2- उ०प्र० अग्निशमन सेवा के राजपत्रित अधिकारियों की निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची के शासनादेश संख्या-689/छ:-पु०-8-16- 801(77)/2010, दिनांक 28.03.2016 में मूलभूत कमियाँ होने के कारण एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।


भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पुलिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अनन्तिम ज्येष्ठता सूची फायर सर्विस की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. सम्बन्धित उप निदेशक, फायर सर्विस, उ०प्र० द्वारा पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर यदि कोई अपत्ति है तो दिनांक 18.09.2018 तक शासन को सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इसे गृह विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(जय वीर सिंह)
अनु सचिव।